पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21–07–2021

दिनांक 20/21–07–2021 को रात्रि थाना विकासनगर 01, काकोरी 01, अलीगंज 01, गोमतीनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पश्चिमी

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना बाजारखाला–दिनांक–20–07–2021 को एस0आई0 श्री प्रहलाद सिंह थाना बाजारखाला द्वारा अभियुक्त 01–अतीक पुत्र हलीम निवासी–370/72 सुल्तानपुर गढैया थाना सआदतगंज लखनऊ 02–मो0 अल्मास पुत्र मो0 असरार निवासी–महबूबगंज पार्क के सामने वाली गली थाना सआदतगंज लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा लगाते समय सार्वजनिक स्थान जोशी टोला मोहल्ले में मन्दिर के पीछे थाना बाजारखाला से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 18 अदद सट्टा पर्ची व 4850/–रूपये नकद बरामद कर थाना बाजारखाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना आशियाना–आज दिनांक–21–07–2021 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री रामयतन यादव निवासी पुराना गुडौरा बिजनौर थाना आशियाना लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि दिनांक–20–07–2021 को समय करीब 11.20 बजे वादी भारतीय स्टेट बैंक, जेल रोड बंग्ला बाजार से 02 लाख रूपये निकाल कर देवीखेड़ा में पटेल टायल्स की दुकान पर स्कूटी खड़ी करके सामान लेने के लिए अन्दर गया। इसी बीच समय करीब 11.50 बजे 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की स्कूटी की डिग्गी में रखे 02 लाख रूपये नकदी को चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 0298/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री महिपाल सिंह थाना आशियाना द्वारा की जा रही है।**

थाना ठाकुरगंज–आज दिनांक 21–07–2021 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री फिरदौस पुत्र बाबर अली निवासी–रिफा कालोनी न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वादी नगर निगम जोन 6 का प्राइवेट सफाई कर्मचारी है तथा उपरोक्त पते पर बेसमेन्ट पर झोपड़ी बनाकर रहता है। दिनांक 19/20–07–2021 की रात्रि समय करीब 03.00 बजे से 04.00 बजे के मध्य वादी की झोपड़ी के अन्दर घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा झोपड़ी के अन्दर रखे बक्शे को चोरी कर लिया गया। बक्शे के अन्दर सोने–चांदी के जेवरात व 14000/–रूपये नकदी व एक अदद मोबाइल फोन था। जब सुबह वादी सोकर जागा तो देखा कि बक्शा बाहर खुला पड़ा हुआ था तथा जेवरात, नगदी व मोबाइल गायब था। इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 410/21 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री आलोक कुमार पाण्डेय थाना ठाकुरगंज द्वारा की जा रही है।**